Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

नाहर सिंह पुत्र जागर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड न. 16 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

बनाम

तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ व अन्य

किस्म मुकदमाः–अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम 1956 प्र0सं0:– 28/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14.03.2023		

पत्रावली वास्ते बहस 96 सीपीसी पेश हुई। अपीलांट स्वयं हाजिर। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 तथा 12 हाजिर। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ से संबंधित अभिलेख चाहा गया था। परन्तु तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा आज दिनांक तक अभिलेख उपलबध नहीं करवाया गया। अपीलांट ने अपनी बहस में दिनांक 09.03.2013 को प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी रास्ते के प्रकरण को लेकर अप्रार्थीगण सं. 4 ता 10 के साथ मनमुटाव रखता था जिस कारण से अपील प्रस्तुत की गई। अब अपीलार्थी को ज्ञान हुआ कि उक्त अप्रार्थीगण सं. 4 ता 10 का इसमें कोई दोष नहीं है एवं मुझ अपीलार्थी का मनमुटाव दूर हो गया है। खसरा नं. 555/289 में 30–00 बीघा कृषि भूमि प्रहलाद राम, रूकमा देवी, कमला रानी एवं गोमती देवी (अपीलार्थी सं. 6 से 9) एवं खसरा नं. 555/289 में लगभग 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि मोहनलाल (अपीलार्थी सं. 10) द्वारा खसरा नं. 555/289 में कृषि भूमि सही खरीद कर तकसीम करवाई गई एवं संपरिवर्तन कार्यवाही 90ए नगरपालिका सूरतगढ़ से विधिसम्मत करवाते हुए ले–आऊट प्लान स्वीकृत करवाते हुए नगरपालिका सूरतगढ़ से पट्टे जारी करवाये गये जिसको अपीलार्थी स्वीकार करता है। अपीलार्थी को इस खसरा नं. 555/289 की सीमाएं, भुजाएं एवं क्षेत्रफल की जानकारी मिली, सही पाया जाता है एवं जबसे खसरा तरमीम हुआ है रेवेन्यु रिकार्ड एवं जमाबन्दी मुताबिक सही है एवं खसरा की चारदिवारी भी रिकार्ड के मुताबिक सही है। अप्रार्थीगण सं. 4 से 10 द्वारा खसरा सं. 555/289 में राजकीय भूमि (रकबाराज) नहीं मिलाई गई है अर्थात् खुर्द बुर्द नहीं की गई है एवं मूल तरमीम खसरा में परिवर्तन नहीं किया गयाअतः प्रकरण का इसी स्तर पर निस्तारण किया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 ने दौराने बहस दिनांक 10.03.2023 को प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 4 ता 10 के नाम रोही सूरतगढ़ के खसरा नं. 555/289 में 10.120 है0 खातेदारी भूमि राजस्व राजस्व रिकॉर्ड थी। जिसका नक्शा सूरतगढ़ के खसरा नं. 555/289 में किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया गया। अपीलांट द्वारा किस आदेश के विरूद्व हस्तगत अपील पेश की है इस बाबत अपील मीमों में कोई विवरण अंकित नहीं किया है तथा ना ही निर्णय की प्रति संलग्न की है। इसलिये धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपील निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने स्वंय की खातेदारी भूमि खसरा नं. 282/2 में स्थित होना बताया। उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नं. 289 में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ प्रकरण संख्या 30/19 निर्णय कर गै.मु.रास्ता स्वीकृत होना बताया गया, इसी आधार पर अपीलान्ट उक्त जैर अपीलीय रकबा से हितबद्व होने के कारण अपील प्रस्तुत की। जबकि अपीलान्ट स्वच्छ हाथों से श्रीमान जी के समक्ष नही आया है। गै.मु.रास्ता खसरा नं. 289 में बताया गया वह श्रीमान राजस्व अपील अणिकारी श्रीगंगानगर ने निरस्त कर दिया गया है। इस लिहाज से अपीलान्ट का जैर अपील में किसी प्रकार के कोई हित प्रभावित नही होते है। अपीलान्ट ने जैर अपील में खसरा नं. 289 के आरजीराज रकबा का तरमीम खसरा नं. 555/289 में होना बताया है। अपीलान्ट स्वंय इन तथ्यों को स्वीकार कर रहा है कि उक्त खसरा में अपीलान्ट गै.मु. रास्ता के लिये अपील प्रस्तुत नही की है। अपीलान्ट [illegible] खातेदार काश्तकारों रेस्पोडेन्ट नं. 4 ता 9 के द्वारा बैय रेस्पोडेन्ट [illegible] दबाव बनाकर अनाधिकृत अधिकारों की पूर्ति की जा सके। जैर अपीलार्थी [illegible] 555/289 में 30.00 बीघा भूमि का सहकाश्तकारों के द्वारा आपसी सहमति [illegible] खाता विभाजन किया गया जिसमें भी मौका एवं नक्शा [illegible] अनुसार उक्त जैर अपीलीय रकबा का भू–रूपान्तरण किया जा चुका है [illegible] की जानकारी अपीलान्ट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.03.20 12:33:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

होने के पश्चात भी मनगढत तथ्यों पर पेश की है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर अर्ज है कि अपीलान्ट की अपील निराधार, मिथ्या कथनों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट ने अपील मिमो में किस निर्णय/आदेश की अपील के बारे में किसी प्रकार का कोई विवरण नही होने के कारण धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित होने के कारण अपील निरस्त फरमायी जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 6 ता 9 द्वारा दिनांक 03.03.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में अंकित किया है कि अपीलांट ने अपनी कृषि भूमि का विवरण प्रार्थनापत्र में वर्णित नहीं किया है। अपीलांट की भूमि खसरा न. 282/2 में अवस्थित है, जबकि प्रश्नगत भूमि खसरा न. 555/289 की है। अपीलांटस की भूमि, से प्रश्नगत भूमि से काफी दूरी पर पडती है। अपीलांट ने अपनी कृषि भूमि खसरा न. 282/2 में आवागमन हेतु रास्ता का प्रार्थना पत्र अनवानी नाहर सिंह बनाम दयाल चन्द उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय से व्यथीत होकर माननीय राजस्व अपील अधिकरी के समक्ष अपील पेश की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र बावत रास्ता खारिज करने का आदेश पारित किया गया। अपीलांट ने अपने रास्ता प्रार्थना पत्र को माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारिज किये जाने के तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में छुपाया है। प्रश्नगत खसरा न. 555/289 की भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो चुकी है तथा संपिरतर्वतन भूमि से निकलने वाले रास्तों के कारण यदि अपीलांट को अपनी भूमि में रास्ता का कोई अधिकार व्युत्पन होता है तो वह अधिकार किसी कदर विपरीत रूप से प्रभावित होता है। खसरा न. 555/289 की 40 बीघा कृषि भूमि भागुराम के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख थी। भागुराम के वारिसान द्वारा उक्त 40 बीघा भूमि में से 30 बीघा भूमि बैय कर दी तत्पश्चात उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 6 से 9 ने खरीद कर ली तथा तकसीम हेतु आवेदन किया। जो बाद जांच आवेदन स्वीकार किया गया व भूमि तरमीमी आदेश खसरा नम्बर में अवस्थित कर तकसीमी आदेश के मुताबिक तरमीम किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 6 से 9 ने अपने हक, हिस्सा व कब्जा की भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया। जिसमें तरमीमी नक्शा व संपरितर्वन आदि जाहिर करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की गई। जिस पर कोई आपत्ति नहीं आने पर वर्णित भूमि आवासीय संपरिर्वतन कर दी गई। तथा अब नियमानुसार ही पट्टै जारी किये जा रहे है। अपीलांट ने उक्तानुसार ही भूमि विकय, माननीय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पारित तकसीम आदेश, भू रूपांतरण आदेश व तत्पश्चात नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा जारी पट्टो की कार्यवाही को समक्ष प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नही दी है। भूमि संपरिर्वतन व पट्टै जारी होने के पश्चात, माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपीलांट के रास्ता स्वीकृति का आवेदन को खारिज करने के निर्णय व आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व राजस्व मण्डल अजमेर में रिवीजन प्रस्तुत की है। जिसमें दिनांक 14.02.2023 को यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है। खसरा न. 555/289 के नक्शा में किसी प्रकार का कोई परिर्वतन नहीं किया गया है तथा अपीलांट किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 12 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़ ने अपने जवाब में अंकित किया है कि अपीलार्थी-प्रार्थी द्वारा किस राजस्व अधिकारी के किस आदेश एवं तिथि के विरुद्व अपील प्रस्तुत की गई है स्पष्ट नही होता है। यह कि प्रार्थी को वर्तमान अपील एवं प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने का विधिक अधिकार व Locul standai नही है। अपील में अर्न्तवलित भूमि भू राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत धारा 90 'क' के अर्न्तगत नगरपालिका को सर्मपण की जाकर कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ यानि आवासीय मे संपरिवर्तन की जा चुकी है तथा कृषि भूमि का नेचर समाप्त हो चुका है के सम्बंध में अपीलार्थी-प्रार्थी को राजस्व न्यायालय में अपील प्रस्तुत [illegible] अधिकार प्राप्त नही है तथा वह घोषणा के सम्बंध मे सिविल न्यायाल[illegible] प्राप्त कर सकता है इसलिए अपील एंव स्थगन [illegible] के सम्बंध में जारी आदेश को [illegible] अपील प्राधिकारी श्रीगंग[illegible] द्वारा अपास्त किये जाने का आदेश जारी किया गया [illegible] अपील एंव स्थगन आदेश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] हाथो से उपस्थित नही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.03.20 12:33:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हुआ है। प्रार्थी–अपीलार्थी के सीधे रुप से अधिकार प्रभावित नही होते है तथा अपीलार्थी की अपील लोक हित में नही होकर व्यक्तिगत हित प्रभावित होने के सम्बंध में प्रस्तुत की गई है जिसे किसी प्रकार से वह सिद्व नही कर पाया है इसलिए अपील पोषणीय नहीं है। धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता के आदेश से पूर्व अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायहित में नही था। परन्तु प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा तथ्यों को गोपनीय रखकर अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर न्यायिक प्रकिया पर अध्यारोही हुआ है। खसरा संख्या 555/289 की भूमि का राजस्व हल्का पटवारी एवं रेवन्यू अधिकारी तहसीलदार राजस्व द्वारा विधि पूर्वक तकसीम व नक्शा स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिर्काड की जमाबंदी में इन्द्राज किया गया है जिसमें कोई अनियिमितता नही है । प्रार्थी को अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई हक व अधिकार तथा वाद हेतूक प्राप्त नही है तथा अपील एंव स्थगन प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है तथा प्रार्थी–अपीलार्थी clean hand से श्रीमान् के समक्ष उपस्थित नही हुए है। प्रार्थी ने श्रीमान् न्यायालय से तथ्य गोपनीय रखकर व राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के अपील संख्या 43/2020 दिनांक 28–12–2022 के निर्णय को छुपाकर रास्ता के सम्बंध में कथन किये है जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा रास्ता के सम्बंध में उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत दिये गये आदेश को अपील में निरस्त कर प्रकरण को रिमांड किया गया है इसलिए प्रार्थी स्वच्छ हाथो से नही आने के कारण कोई स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा जारी किया गया अंतरिम आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। यहॉ यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि प्रत्यर्थी संख्या 6 से 9 खातेदारो की तकसीम भूमि 555/289 के उत्तर पूर्वी दिशा की खातेदारी मोहनलाल की 555/289 की भूमि है तथा उसके बाद अन्य काश्तकार व खसरा संख्या 289 की भूमि नगरपालिका सूरतगढ के स्वामित्व व आधिपत्य की है जिससे प्रार्थी के सीधे रुप से अधिकार प्रभावित नही होते है तथा जो नक्शा भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 'क' के अर्न्तगत स्वीकृत किया गया है उसमें भूमि के उत्तर–पूर्व दिशा की और तथा अन्य दिशाओं में रास्ता उपलब्ध है जिससे प्रार्थी के किसी हक व अधिकार का अधित्यजन नही होता है तथा अपील प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य नही है तथा प्रकरण की विषय–वस्तु मे केवल मात्र नगरपालिका व मोहन लाल ही कोई आपत्ति प्रस्तुत करने की अधिकारी हो सकते है। भागूराम पुत्र पुरखा राम रेगर की अस्थाई काश्त की भूमि के 40 बीघा के लगभग भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान कर खाता तकसीम कर खसरा संख्सा 555/289 मिन खसरा बनाकर नक्शा स्वीकृत किया गया तथा खातेदार कमश रुकमा, प्रहलाद ,गोमती व कमला द्वारा अपने स्वामित्व व आधिपय की खातेदारी भूमि 30 बीघा का आपसी सहमति से बंटवारा कर तहसीलदार राजस्व से खाता तकसीम करवाया जाकर नक्शा स्वीकृत होने पर कृषि भूमि से अकृषि भूमि (आवासीय) में संपरिवर्तन हेतू भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 'क' के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ रेवन्यू ऑफिसर एवं राजस्व पटवारी द्वारा स्वीकृत एंव अनुमोदित नक्शा प्रस्तुत किया गया तथा गुगल मैप एवं आवासीय कॉलोनी के नक्शा स्वीकृत किये जाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। नगरपालिका द्वारा निरिक्षण उपरान्त भू राजस्व अधिनियम की धारा 6 का प्रपत्र राजस्व तहसीलदार को भिजवाया गया तथा उनके द्वारा प्रपत्र 6 मे निरिक्षण अनुसार भूमि की अवस्थिति , नक्शा एंव स्वामित्व को विवाद रहित बताया तथा उसी अनुसार नगरपालिका द्वारा बीकानेर एस टीपी से खातेदारो द्वारा प्रस्तुत नक्शा को स्वीकृत करवा कर भूमि धारा 90 'क' भू–राजस्व अधिनियम अनुसार भूमि नगरपालिका के नाम अधिगृहित की जाकर पटटे जारी किये गये है तथा 90 प्रतिशत आवासीय पटटे जारी किये जा चुके है। नगर पालिका रिकार्ड के अनुसार खातेदारो द्वारा संपरिर्वर्तीत करवाई गई भूमि के उत्तर–पूर्व की दिशा की भूमि कमला देवी के स्वामित्व की है जिसके [illegible] र 40 फीट रोड मोका पर चल रही है तथा उसके बाद मोहनल[illegible] नगरपालिका की भूमि है जिससे किसी भी व्यक्ति [illegible] से [illegible] होने की कोई सम्भावना नही है। नगरपालिका रिकार्ड के अनुसार रेवन्यू [illegible] एंव राजस्व पटवारी द्वारा जो नक्शा स्वीकृत एवं अनुमोदित [illegible] उसी अनुसार भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 'क' की भूमि का एस टीपी बीकानेर एंव रेवन्यू अधिकारी द्वारा प्रपत्र 6 में दिये विवरण अनुसार पटटे [illegible] किये गये है तथा नक्शा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.03.20 12:33:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

कोई भिन्नता या अन्तर नही है। भागू राम पुत्र पुरखा राम द्वारा कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद उनके वारिसान द्वारा कृषि भूमि विक्रय करने के बाद आपसी सहमति से विभाजन कर नक्शा स्वीकृत एवं अनुमोदित करवाया है तथा खसरा संख्या 289 में शेष भूमि नगर पालिका सूरतगढ के नाम से राजस्व रिर्कार्ड में दर्ज है इसलिए प्रार्थी को नोटिस देने की कोई विधिक आवश्यकता नही थी तथा ना ही कोई अनियमितता हुई है। नगरपालिका के समक्ष भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 'क' में संपरिर्वतन करवाये जाने की कार्यवाही किये जाने से पूर्व आपत्ति सूचना एवं लोक सूचना जारी की गई थी जिसके दो दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित किया गया है तथा मोके पर कब्जा एंव स्वीकृत नक्शा अनुसार निर्माण किया गया है इसलिए प्रार्थी को सूचना नही होने का कोई प्रशन नही है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने जान बुझकर नगरपालिका को हैरान परेशान करने के आश्य से उसे पक्षकार बनाया है। नगर पालिका द्वारा भू–रुपान्तरण किये जाने के बाद पटटे जारी किये जा चुके है तथा निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है तथा कई मकान निर्मित हो गये है। अपीलांट को भू–रूपांतरण के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी जो नहीं की गई है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अलवोकन किया। प्रकरण में अपीलांट के तथ्य है कि रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 282/2 में अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि है। जिससे आवाजाही हेतु अपीलांट किशनपुरा रोड पर स्थित खसरा न. 289 जो आराजी राज भूमि थी का उपयोग कर रहा था। उक्त खसरा न. 289 जो आराजी राज भूमि के उतर पूर्व में चिपती खसरा न. 555/289 की 10.1200 है भूमि रेस्पोडेंट संख्या 4 ता 10 के नाम से दर्ज है। उक्त रकबा राज भूमि में से रास्ता स्वीकृत कराने बाबत एक प्रार्थना पत्र संख्या 30/2019 अनवान नाहर सिंह बनाम तहसीलदार अन्तर्गत धारा 251 आरटीए के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा स्वीकृत कर रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त निर्णय के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 43/2020 अनवानी रामप्रताप बनाम नाहर सिंह आदि तथा अपील संख्या 72/2020 अनवानी दयाल चन्द आदि बनाम नाहर सिंह पेश की गई। उक्त अपीलों में राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 28.12.2022को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय में अपीलांट के कथन को उद्वरण कराना उचित समझते है। अपीलांट के कथन है कि " बरवक्त मौका निरीक्षण अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई। तमाम कार्यवाही रेस्पोडेंट को लाभ पहुंचाने हेतु की गई है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया था। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 251 ए के नियम 69 की पालना किये बिना ही आदेश पारित किया है। उक्त कथन का रेस्पोडेंट (हस्तगत अपील के अपीलांट) द्वारा कोई खण्डन नहीं किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त निर्णय अनुसार– "अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश होने पर तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का व भू– अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये गये। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 06.02. 2019 को अपनी रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ को प्रेषित कर दी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के नियम 69 में स्पष्ट प्रावधान है कि भू–अभिलेख निरीक्षक रैंक के अधिकारी की रिपोर्ट के बिना रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नहीं है। मौजूदा मामला में पटवारी हल्का की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। इसके अतिरिक्त अपीलांट रामप्रताप ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27. 01.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया था कि मौका की जांच की जाकर निर्णय पारित किया जावे, किन्तु इस प्रार्थना पत्र के संबंध मे कोई आदेश पारित किया जाना नहीं पाया जाता है।" राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की उक्त अपीलें स्वीकार करते हुए उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ का निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ को रिमाण्ड कर दिया गया। उपखण्ड़ अधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 25.02.2020 के निर्णय के आधार पर अपीलांट जैरवाद रकबा में हितबद्व पक्षकार साबित नहीं होते है। अतः अपील [illegible] अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जा[illegible] कि [illegible] अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर [illegible] की जाती है। पत्रावली [illegible] तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.03.20 12:33:06 IST
Reason: SelfAttested

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner